राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–पं.( )/निपेवि/लेखा/बजट/2019–20/546 दिनांकः– 20.10.2020

समस्त विभागाध्यक्ष/
समस्त कार्यालयाध्यक्ष

विषयः– अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान के लिये बजट आवंटन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 5(थ–75)/DTA/IFMS/3666-4165 दिनांक 13.09.2019 के बिन्दु संख्या 7 व 8 के क्रम में सेवानिवृत कर्मचारी का पीपीओ जारी हो जाने पर सेवानिवृत तिथि के पश्चात् IFPMS पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु बजट आवंटन किया जाता है।

इस क्रम में लेख है कि NIC द्वारा विकसित बजट मॉड्यूल के माध्यम से बजट आवंटन हेतु सेवानिवृत कर्मचारी का पे–मैनेजर का डेटा पीपीओ के डेटा से मैच होना आवश्यक है। यदि किसी कर्मचारी का पे–मैनेजर डेटा एवं पीपीओ के डेटा जैसे नाम, जन्म दिनांक (DOB), कार्यग्रहण तिथि (DOJ) एवं सेवानिवृति तिथि (DOR) आदि मैच नहीं हो रहे है, तो बजट आवंटन नहीं हो पाता है। पेंशन विभाग द्वारा पीपीओ में नाम, जन्म दिनांक, कार्यग्रहण तिथि एवं सेवानिवृति तिथि आदि का अंकन सेवा पुस्तिका एवं पेंशन कुलक के आधार पर किया जाता है। अतः कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष पेंशन प्रकरण भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी के नाम, जन्म दिनांक (DOB), कार्यग्रहण तिथि (DOJ) एवं सेवानिवृत तिथि (DOR) संबंधी प्रविष्टियां पे–मैनेजर पर सेवा पुस्तिका के अनुसार पूर्ण एवं सही है।

सेवानिवृत कर्मचारी का पीपीओ जारी होने के उपरान्त यदि किसी कर्मचारी का मास्टर डेटा अपूर्ण है, तो उसका पे–मैनेजर डेटा प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसको बजट आवंटन नहीं हो पाता है। अतः कार्यालयाध्यक्ष वित्त विभाग के निर्देशानुसार पे–मैनेजर पर अपने समस्त कर्मचारियों का मास्टर डेटा पूर्ण कर उसे विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि पेंशन प्रकरण प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सेवानिवृत कर्मचारी का पे–मैनेजर पर उपलब्ध डेटा सेवा पुस्तिका के अनुसार पूर्ण एवं सही है, ताकि अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु आवश्यक बजट समय पर आवंटित किया जा सके। पे मैनेजर पर डेटा पूर्ण व अद्यतन होने के बावजूद पीपीओ जारी होने के बाद भी बजट आवंटित नहीं हुआ है, तो संबंधित क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय से सम्पर्क करें। जयपुर जोन से संबंधित कार्यालय बजट हेतु **ई–मेल आई.डी. ddbudgetjaipur@gmail.com** पर पत्र मेल करावें। पत्र में कार्यालय की ई–मेल आई.डी. या कार्यालयाध्यक्ष का मोबाईल नं. अवश्य अंकित करावें।

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक
(प्रशासन)

क्रमांकः–पं.( )/निपेवि/लेखा/बजट/2019–20 दिनांकः–

प्रतिलिपि–
1. अति0 निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं जोधपुर।
2. सभी कोषाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मदशीर्ष 2071 के बजट मांग पत्र **ई–मेल आई.डी. ddbudgetjaipur@gmail.com** पर प्रेषित करावें।

अतिरिक्त निदेशक
(प्रशासन)